Government doctors under the perview of Consumer Protection Act

664. SHRI P. UPENDRA:

SHRI GHUFRAN AZAM:

SHRI KRISHNA KUMAR BIRLA:

Will the Minister of CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state:

(a) whether there is a public demand for bringing Government Hospital Doctors under the purview of the Consumer Protection Act; and

(b) if so, what is the reaction of Government to this demands?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI KAMALUDDIN AHMED) : (a) and (b) Government has received representations from various sections of the society for bringing Government hospitals under the Consumer Protection Act, 1986. Since services rendered by the Government doctors are treated as services rendered free of charge, such services are not covered under the Act.

लघु क्षेत्र को खाद्य तेलों की आपूर्ति

665. **चौधरी हरि सिंह** : क्या नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वनस्पति तेलों के उत्पादन के लिए लघु क्षेत्र को अनिवार्य लाइसेंसिंग से मुक्त रखा गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या वनस्पति तेलों के उत्पादन के लिए लघु क्षेत्रों को उचित मूल्य पर आयातित खाद्य तेल की आपूर्ति की जा रही है ;

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ङ) क्या लघु क्षेत्र में वनस्पति तेल उत्पादकों को मूल्य नियंत्रण और अंतर्राज्यीय व्यापार से मुक्त रखा गया है ?

(च) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री और वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री की अतिरिक्त प्रभार (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) और (ख) चार प्रमुख तिलहनों अर्थात् सरसों, रेप, तिल व मूंगफली की पेराई लघु उद्योग क्षेत्र में विकसित करने के लिए आरक्षित की गई है। इस प्रयोजन के लिए किसी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है ।

(ग) और (घ) उद्योग को आयातित खाद्य तेल का आबंटन नहीं किया गया है ।

(ङ) और (च): सरकार देशीय वनस्पति तेलों पर कोई मूल्य नियंत्रण नहीं रखती है । सरकार भी, एक नीति के रूप में अंतर्राज्यीय व्यापार पर किसी प्रतिबंध के विरुद्ध है ।

राज्यों को खाद्यान्नों का आबंटन

666 **श्री राम जेठमलानी :**

श्रीमती सुषमा स्वराज :

क्या नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश की कुल आबादी के केवल 40 प्रतिशत उपभोक्ताओं को ही राशन कार्ड जारी किए गए हैं ;

(ख) क्या यह भी सच कि देश में सम्पूर्ण कृषि उपज का 15 प्रतिशत से कम खाद्यान्न केन्द्रीय पूल के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली हेतु खरीदा जाता है;

(ग) क्या यह भी सच है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के केन्द्रीय पूल से देश के विभिन्न राज्यों को वहां के उपभोक्ताओं की संख्या के अनुसार, खाद्यान्न आबंटित नहीं किया जाता ; और